न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास गोविंद सिंह भींचर, आर.ए.एस

करण संख्याः 56/2021 दावा

1. रतनलाल शर्मा
2. मदनलाल शर्मा
3. ओमप्रकाश शर्मा

पुत्रगण रामनिवास शर्मा, निवासी ग्राम सांवलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

4. करूणा पत्नि रामनिवास

–वादीगण

बनाम

1. गुलझारी लाल पुत्र बजरंग लाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम सांवलपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. रामनिवास पुत्र सुरजन (फौत)
3. तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा, बेदखली एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री शिवपाल सिंह वकील वादीगण की ओर सें।
2. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से।

निर्णय **दिनांक – 02.09.2024**

वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा इस्तकार हक व बेदखली जेर धारा 88, 183 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट तथा दुरूस्ती इन्द्राजात जमाबन्दी जैर धारा 136 लेण्ड रेवन्यु एक्ट बाबत आराजी भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा ग्राम सावलपुरा तहसील दांतारामगढ माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर सीकर के यहा दिनांक 07.09.1995 को इस आशय का पेश किया की भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा तन ग्राम सावलपुरा तह0 दांतारामगढ का 4/5 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त भूमि के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार गुलझारी की जगह उद्घोषित किया जावे तथा उक्त भूमियों से प्रतिवादी गुलझारी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें व नामान्तकरण संख्या 67 व 133

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उक्त आराजीयात को निरस्त किया जावे व बेचान पत्र दिनांक 12.08.1975 द्वारा प्रतिवादी रामनिवास बहक प्रतिवादी गुलझारी बाबत उक्त आराजी को निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादी गुलझारी को पाबन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को किसी प्रकार से ट्रांसफर अन्यत्र न करे इसको खुर्द बुर्द न करे उसमें गढे आदि न बनावे उसमें खड़े पेड़ न काटे तथा उनको नुकसान न करे तथा किसी प्रकार से भूमि को नुकसान न करे न ही अपने परिवार के सदस्य, नौकर परिजन एवं एजेन्टो से करावें।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता रामनिवास से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के दिनांक 29.07.1975 वादग्रस्त भूमि को 1/2 हिस्सा भूमि खरीद कर रामनिवास से कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त भूमि से वादीगण का किसी प्रकार का कोई सम्बंध नहीं है तथा प्रतिवादी स्व0 जमना के जीवनकाल मे ही उनके गोद चला गया था। वादीगण ने बिना किसी आधार के गलत दावा पेश किया है जो कानूनन चलने योग्य नहीं है।

दावा व जबाब दावा के आधार पर निम्न 4 तनकीयात कायम की गयी :–

(i) आया वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 स्वय को वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार उदघोषित करवाने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ?

–जिम्मे वादीगण

(ii) आया नामान्तकरण संख्या 67 व 133 निरस्तनिय है ?

–जिम्मे वादीगण

(iii) आया वादीगण व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है ?

– जिम्मे वादीगण

(iv) आया प्रतिवादी संख्या 1 मृतक जमना का दत्तक पुत्र नहीं है ?

–जिम्मे वादीगण

4. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य करूणा शर्मा पत्नि रामनिवास ब्राहमण निवासी सांवलपुरा तहसील दांतारामगढ के बयान करवाये जिसमे उन्होने अंकित

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

किया की गुलझारी लाल जमना का गोद का पुत्र नहीं है जबकि जमना की मृत्यु लगभग 50 वर्ष पहले हो चुकी है। गुलझारीलाल को गोद नही लिया गया है क्योकि उसका जन्म जमना की मृत्यु के बाद हुआ है। जो रजिस्ट्री हुई है वह भी गलत है अतः गोदनामा व फर्जी रजिस्ट्री निरस्त कर आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार वादीगण को घोषित कर कब्जा दिलाया जावे। बयान गोविन्द पुत्र सवाई सिंह मीणा निवासी सांवलपुरा ने भी अपने बयानों में गुलझारीलाल को जमना का गोद का पुत्र न होना व रामनिवास द्वारा जमीन का विक्रय नहीं करने बाबत कथन दोहराया है एवं खसरा नम्बर 199 में काश्त करना गुलझारीलाल अंकित हुआ है। नारायणलाल पुत्र बिडदाराम जाट निवासी सांवलपुरा ने भी अपने बयानों में गुलझारीलाल को गोद का बेटा न होना व जमीन रामनिवास द्वारा बेचान नही करना अपने बयानो में अंकित किया है। प्रतिवादीगण ने वाद के विपरीत बयान गुलझारीलाल पुत्र दत्तक पुत्र जमना का होना निवासी सांवलपुरा ने अपने बयानों में अंकित किया है। आराजी खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा मेरे कब्जे काश्त में होना अंकित किया। उसने बयानों में बताया कि उक्त आराजियात का 1/2 भाग रामनिवास ने उसे जरिये रजिस्ट्री बेचान की है व 1/2 भाग उसे जमना की पैतृक भूमि दत्तक पुत्र होने के फलस्वरूप प्राप्त हुई है जिस पर वह काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उसने उस जमीन को सिंचित कर अपने मकानात बनाकर पम्प सेट, विघुत कनेक्शन लगाकर आबाद होकर चला आ रहा है। बयान भागुराम पुत्र मुंगाराम जाट निवासी सांवलपुरा व बयान रामगोपाल पुत्र मांगीलाल जांगिड निवासी सांवलपुरा ने भी गुलझारीलाल को जमना का गोद का बेटा होना व 1/2 भाग की भूमि रामनिवास द्वारा गुलझारीलाल को बेचान कर कब्जा सम्भालने बाबत कथन किया गया है।

वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में पेश दस्तावेजो को प्रदर्श करवाये जो निम्न प्रकार है:– प्रदर्श संख्या 1 जमाबन्दी सम्वत 2043 से 2046, प्रदर्श 2 जमाबन्दी सम्वत 2038 से 2041, प्रदर्श 3 जमाबन्दी सम्वत 2018 से 2021, प्रदर्श 4 जमाबन्दी सम्वत 2022 से 2025, प्रदर्श 5 जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029, प्रदर्श 6 जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

म्वत 2030 से 2035, प्रदर्श 7 जमाबन्दी सम्वत 2034 से 2037 कायम किये। तपश्चात् वादीगण ने साक्ष्य में एक मृत्यु प्रमाण पत्र जमना का पेश किया, स्कुल टी.सी व चरित्र प्रमाण पत्र गुलझारी का पेश किया व प्रतिवादीगण ने अपील विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत अलोदा दिनांक 30.05.1970 नामान्तकरण संख्या 67 एवं निर्णय दिनांक 11.10.77 नामान्तकरण संख्या 133 बाबत आराजी खसरा नम्बर 199 तन ग्राम सावलपुरा तहसील दांतारामगढ का निर्णय दिनांक 01.07.2003 का पेश किया। बहस उभयपक्ष सुनी जाने पश्चात आदेश दिनांक 26.12.2006 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा पारित किया उक्त की अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपिल प्राधिकारी, सीकर के यहा अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड कर निर्देशित किया कि उपखण्ड अधिकारी सीकर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.12.2006 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण में आदेश 20 नियम 5 सीपीसी की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया जावे, तथा उपरोक्त बिन्दूओं को भी निर्णय में देखते हुये अपना पुनः निर्णय पारित करें। उक्त की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे की गई जिसमें प्रथम अपील आदेश दिनांक 14.02.2011 को यथावत रखकर अपील खारिज की गई।

पत्रावली पुनः पेश होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये वादीगण की और से वकील श्री शिवपाल सिंह व प्रतिवादी की और वकील श्री हरदेवाराम सुण्डा हाजिर आये तथा बहस उभयपक्ष सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म ही स्व. जमना की मृत्यु पश्चात हुआ है तो दत्तक पुत्र जाने का सवाल ही नही पैदा होता तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 (वर्तमान फौत) द्वारा बेचान भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धाराओं के विपरीत होने से अवैध व खारिज योग्य है। अतः वादीगण को उक्त भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जावे व धारा 183 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा किये गये निर्णय/डिक्री सही है व पत्रावली का पूर्ण रूप से अवलोकन कर वादी व प्रतिवादी के साक्ष्य करवाकर वादी व प्रतिवादी द्वारा पेश सभी दस्तावेजों, जबाब दावा आदि का सभी का अवलोकन कर निर्णय किया गया है जो पूर्णतया से सही है। प्रतिवादी संख्या 1 को उसके दत्तक पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 के जन्म के समय से ही अपने पास दत्तक पुत्र रख रखा था। वादीगण के पिताजी द्वारा विक्रय पत्र करवाया गया जो पुर्णतया सही है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 199 के सम्बध में प्रतिवादी संख्या 1 गुलझारी के पक्ष में भरे गये दोनों नामान्तरण संख्या 67 व 133 पूर्ण विधिक प्रकिया अपना कर मौके पर कब्जे की जांच कर भरे गये है। वादीगण वादपत्र के किसी भी तथ्य को साबित नही कर पाये। वादीगण के मन में बेईमानी थी जिस कारण ही वर्ष 2005 में जमना का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था जबकि उनकों मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का कोई अधिकार भी नहीं था तथा न ही वादीगण ग्राम सांवलपुरा में आवास निवास करते है। वादीगण द्वारा पेश सभी वाद व अपील माननीय न्यायालयों द्वारा खारिज किये गये है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण ने झुठे कथन कर वाद अपील पेश किये गये है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

मैनें पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी संवत् 2043–46 राजस्व ग्राम सांवलपुरा पटवार हल्का अलोदा की जमाबन्दी 2038–41, 2018–29, 2032–35, 2026–29, 2030–37, 2034–36 नामांतकरण संख्या 67 व 133 ग्राम सांवलपुरा बयान वादी करूणा शार्मा, गोविंद, नारायण लाल, जमाबंदी सम्वत् 2058–61 नकल नामांतकरण अपील बयान प्रतिवादी गुलझारी, भागुराम, रामगोपाल, मृत्य प्रमाण पत्र जमना, चरित्र प्रमाण पत्र गुलझारी लाल, टी.सी. गुलझारी लाल का अवलोकन किया। बहस के समय विद्वान अधिवक्तागण के तर्को का मनन किया। वकील वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में बहस के दौरान तर्क दिया कि वादीगण के पिता रामनिवास ने गुलझारी लाल को 1/2 भाग की भूमि विक्रय नही की है।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

गुलझारी लाल जमना का दत्तक पुत्र नही है व बजरंग लाल का पुत्र है। अतः वाद डिकी किया जाकर वादीगण के हक में उद्घोषणा द्वारा विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 के वकील का तर्क है कि गुलझारी लाल का विवादित भूमि 1/2 भाग वादीगण के पिता द्वारा विक्रय पत्र के फलस्वरूप प्राप्त होकर विधिवत नामांतकरण पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हुआ है कब्जा काश्त उसका चलता आ रहा है। उक्त खसरा नम्बरान आराजी की 1/2 भाग की भूमि उसे जमना के दत्तक पुत्र के वारिसान के रूप में मिली है जिस पर वह 30–40 सालों से काबिज काश्त करता आ रहा है और उसके मकानात कुआ बने हुये है। वादीगण अपने वाद की उद्घोषणा किये जाने के लिए कोई ठोस दस्तावेज, साक्ष्य, प्रस्तुत नही करने के कारण वाद निरस्त योग्य है। यदि जमना की विरासत पर कोई विवाद था तो प्रतिवादी संख्या 2 मृतक रामनिवास पुत्र सुरजन को उसकी विरासत इन्तकाल के समय 1975 में ही प्रस्तुत करना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त 30 वर्ष से भी अधिक पुराना है जबकि वादीगण का जन्म भी नहीं हुआ था। इस मामले में बनाई गयी तनकीयात जो कि सभी सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण के जिम्मे था। वादीगण द्वारा सिद्ध नही की जा सकी। जहां तक वर्ष 1975 में कराये गये बयानामें का सवाल है तो यह एक पंजीबद्ध दस्तावेज है इसे जबतक कोई सक्षम न्यायालय निरस्त नही करे तब तक यह एक वैध दस्तावेज है व इस दस्तावेज को निरस्त करने के लिए सक्षम न्यायालय सिविल न्यायालय है। वाद खारिज योग्य है।

). उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकीवार निर्णय निम्न अनुसार है :–

1. **आया वादीगण व प्रतिवादी सख्या 2 स्वय को वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार उदघोषित करवाने तथा भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ? –जिम्मे वादीगण**

प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु साक्ष्य शुरू होने से पूर्व हो चुकी है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्रों, प्रदर्श 1, 2 व 7 में प्रस्तुत जमाबंदी में गुलझारी लाल पुत्र बजरंग लाल खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है व गुलझारी लाल

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

पिता मु. जमना भी दर्ज है। वादीगण द्वारा वादपत्र के मद संख्या 2 में पेश वंशावली का प्रतिवादी ने अपने जबाबदावा में स्वीकार नही किया है परन्तु सी. पी.सी के आदेश 8 नियम 5 में यह प्रावधान है की Denial Must be Specific अतः उक्त Denial Specific नही होने से उक्त वंशावली सही मानी जाने से वादीगण जमना व सुरजन के वारिशान होने से प्रदर्श 3 व 4 जमाबंदी सम्वत 2018–21, 2022–25 में अंकित भूमि जो जमना व सुरजन के नाम से दर्ज रिकार्ड थी व प्रदर्श 5 व 6 जमाबंदी सम्वत 2026–29, 2030–33 रामनिवास व गुलझारी पिता मु. जमना के नाम दर्ज थी, की उद्घोषणा वारिसान होने से हिंन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत स्वयं को खातेदार काश्तकार उद्घोषित करवाने के निम्न आधार पर हकदार है :–

(A) उक्त भूमियां प्रदर्श 3 व 4 जमाबंदी संवत 2018–21, 2022–25 के अनुसार पूर्व में वादीगण के पूर्वज जमना व सुरजन पुत्र दयाला के नाम दर्ज थी।

(B) प्रदर्श 4 व 5 जमाबंदी संवत 2022–25, 2026–29 अनुसार उक्त भूमिया रामनिवास (वादी के पूर्वज) के नाम व गुलझारी पिता मु. जमना के नाम दर्ज हुई।

(C) उक्त भूमियां नामांतकरण संख्या 76 दिनांक 30.05.1970 के जरिये जमना की विरासत के गुलझारी के दतक पुत्र के रूप में दर्ज हुयी परन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार जमना की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार 1.06.1948 का होना प्रमाणित है तथा गुलझारी की जन्म तिथि Transfer Certificate अनुसार 18.07.1957 है तथा वर्तमान वाद में गुलझारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र में भी अपनी आयु 48 वर्ष 29.03.2005 को बतायी है, मतलब इस अनुसार भी गुलझारी का जन्म 1957 में होना पाया जाता है। अतः जमना की मृत्यु के पश्चात् उसका जन्म होना प्रमाणित है।

(D) उक्त नामान्तकरण की दिनांक 30.05.1970 को प्रतिवादी द्वारा स्वयं द्वारा पेश साक्ष्य शपथ पत्र अनुसार भी उसकी उम्र 30.05.1970 को 13 वर्ष ही होती है व

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

अगर उस वक्त उसके नाम नामांतकरण भरा जाता तो जरिये प्राकृतिक सरंक्षक भरा जाता।

(E) गुलझारी ने दत्तक पुत्र के रूप में भी नामांतकरण दर्ज करवाया है व जब भूमि खरिदी तब अपने पिता का नाम दर्ज करवाया परन्तु अपने पिता की विरासत के नामांतकरण संख्या 93 दिनांक 06.03.2003 में भी पिता की विरासत से भी अपना हक हिस्सा लिया है जबकि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई व्यक्ति यदि गोद जाता है तो वह अपने पिता की सम्पति में हक हिस्सा नही रख सकता। अतः स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा गलत तरिके से जमना की विरासत का नामांतकरण अपने नाम दर्ज करवाया गया।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार जमना की मृत्यु के पश्चात ही गुलझारी का जन्म प्रमाणित होता है न ही गुलझारी ने कोई दस्तावेज अपने जबाब व साक्ष्य के समर्थन में पेश किये जिसे वादी द्वारा पेश अन्य साक्ष्य को Rebut किया जा सके। अतः वादी द्वारा पेश साक्ष्यों के आधार पर गुलझारी का जन्म जमना के मृत्यु के पश्चात् प्रमाणित पाये जाने पर जमना की पैतृक सम्पित पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार वादीगण का हक हिस्सा है। अतः वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों का खुद को काश्तकार खातेदार उद्घोषित करवाने के हकदार है तथा तदनुसार ही उक्त वादग्रस्त भूमियों का कब्जा पाने के अधिकारी है। अतः तनकीयात संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **आया नामान्तकरण संख्या 67 व 133 निरस्तनिय है?– जिम्मे वादीगण**

वादीगण द्वारा पेश नामांतकरण संख्या 133 चुकि विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है, अतः उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाये बिना उक्त नामांतकरण निरस्तनीय योग्य नही है व विक्रय पत्र निरस्त करवाने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः वर्तमान वाद जरिये पेश दस्तावेजात के आधार पर उक्त तनकियात नामांतकरण संख्या 67 के हद तक आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

निर्णित की जाती है। क्योंकि उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का जन्म जमना की मृत्यु पश्चात पाया गया।

आया वादीगण व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है ?

– जिम्मे वादीगण

चुकि तनकीयात संख्या 1 व 2 (आंशिक रूप से) वादीगण के पक्ष में निर्णित है तो वादीगण उक्त भूमियों का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने का हकदार है। अतः कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी भूमि से अतिक्रमी को या अन्य किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है चुकि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य मय प्रतिवादीगण द्वारा पेश साक्ष्य शपथ पत्र के अनुसार उक्त भूमियों पर कब्जा प्रतिवादी का है। अतः वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का हकदार है।

आया प्रतिवादी संख्या 1 मृतक जमना का दत्तक पुत्र नहीं है?–जिम्मे वादीगण

वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य मय जमना का मृत्यु प्रमाण पत्र, गुलझारी का स्कूल Transfer Certificate गुलझारी द्वारा पेश साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर गुलझारी का जन्म जमना की मृत्यु पश्चात होना ही प्रमाणित पाया जाता है व विरासत के नामांतकरण को भी गुलझारी की उम्र 13 वर्ष होना व गुलझारी द्वारा 2003 में 33 वर्ष पश्चात अपने पिता की भूमि से भी विरासत से हिस्सा प्राप्त करने से स्पष्ट है की गुलझारी मृतक जमना का दत्तक पुत्र नही है। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर व तनकीवार निर्णय के आधार पर विरासत का नामांतकरण संख्या 76 दिनांक 30.05.1970 निरस्त किया जाकर वादीगण को जमना के विधिक वारिसान होने से उसके हिस्से की भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 306/632, 306/633, 688/306, 689/306 कुल किता 4 कुल रकबा 3.26 हैक्टर वाके ग्राम सांवलपुरा प0ह0 अलोदा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में हिस्सा 1/2 का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 2 रामनिवास द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

धाराओं के विपरीत किये गये विकय पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त के पश्चात ही उसके संबंध में वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के हकदार है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिकी किया जाता है कि वादीगण भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 306/632, 306/633, 688/306, 689/306 कुल किता 4 कुल रकबा 3.26 हैक्टर वाके ग्राम सांवलपुरा प0ह0 अलोदा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर के 1/2 खातेदार काश्तकार धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उद्घोषित किये जाते है व धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त भूमी खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 306/632, 306/633, 688/306, 689/306 कुल किता 4 कुल रकबा 3.26 हैक्टर वाके ग्राम सांवलपुरा प0ह0 अलोदा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर के हिस्सा 1/2 से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास गोविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

रतनलाल शर्मा बनाम गुलझारी लाल

दावा बाबत उदघोषणा, बेदखली, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 56/दावा सन् 2021 निर्णय दिनांक. 02.09.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू गोविन्द सिंह भींचर आर.ए.एस बहाजरी श्री शिवपालसिंह मिनजानिब मुद्दई व बहाजरी श्री हरदेवाराम सुण्डा मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी अंतिम डिक्री इस प्रकार सें जारी की जाती है वादीगण भूमि खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा के 1/2 खातेदार काश्तकार धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उदघोषित किये जाते है व धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त भूमी खसरा नम्बर 199 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 306/632, 306/633, 688/306, 689/306 कुल किता 4 कुल रकबा 3.26 हैक्टर वाके ग्राम सांवलपुरा प0ह0 अलोदा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर के हिस्सा 1/2 से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो

बीज ......—...... मुबलिग ....—.... बाबत ......—...... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ...—... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक .....—..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.09.2024 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

दस्तखत अफसर

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्पअर्जीदावा	6	00	स्टाम्पवकालतनामा	1	00
स्टाम्पवकालतनामा	1	00	स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत	–	–	मेहनतानावकीलपर ...		
मेहनतानावकील	–	–	खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान	–	–	फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर	–	–	बाबतइजराय हुक्मनामा		
बाबतइजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दोफरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरामगढ